


तारीख हुयम	<p>हुयम या कार्यवाही नय इनिशियल जज  <b>रामसहाय शर्मा बनाम कल्लू शर्मा</b>          प्रार्थना पत्र संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/606</p>	<p>नम्बर व तारीख          अहकाम जो इस          हुयम की तामील में          जारी हुए</p>
18.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपरिथत। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में गत पेशी दिनांक 15.12.2025 को भी अपीलान्ट अनुपरिथत रहा है। प्रकरण वर्ष 2022 से विचाराधीन चल रहा है तथा अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा अपील को आगे चलाये जाने में रुची नहीं होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। तहत रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाक्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">           (पूनम)          संभागीय आयुक्त,          जयपुर।       </p>	